

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

धारा 21 : नियत दिन को या उसके पश्चात् की गई सेवाओं का आयात

नियत दिन को या उसके पश्चात् की गई सेवाओं का आयात, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि सेवाओं के ऐसे आयात का संव्यवहार नियत दिन से पहले प्रारम्भ कर दिया गया था, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर के दायित्वाधीन होगा :

परन्तु यदि सेवाओं के ऐसे आयात पर कर, विद्यमान विधि के अधीन पूर्णतः संदत्त कर दिया गया था, तो इस अधिनियम के अधीन ऐसे आयात पर कोई कर संदेय नहीं होगा :

परन्तु यह और कि यदि सेवाओं के ऐसे आयात पर कर, विद्यमान विधि के अधीन भागतः संदत्त कर दिया गया था, तो इस अधिनियम के अधीन ऐसे आयात पर कर की अतिशेष रकम संदेय होगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी संव्यवहार को नियत दिन से पहले प्रारम्भ किया गया समझा जाएगा, यदि या तो ऐसी पूर्ति से सम्बन्धित बीजक या संदाय, या तो पूर्णतः भागतः नियत दिन से पहले प्राप्त कर लिया गया है या किया गया है।
